हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

नवम् सत्र

समाचार भाग-1

संख्याः 85

सोमवार, 14 सितम्बर, 2020/23 भाद्रपद,1942 (शक्)

<u>सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख</u>

समयः 02.00 बजे (अपराह्न)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष श्री विपिन सिंह परमार जी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

माननीय अध्यक्ष द्वारा प्रश्नकाल की कार्यवाही आरंभ करने से पूर्व ही **श्री मुकेश अग्निहोत्री नेता प्रतिपक्ष** ने श्री सुन्दर सिंह ठाकुर, सदस्य को उनके द्वारा पुलिस अधीक्षक कुल्लू के कार्यालय परिसर में धरने के दौरान उन्हें परिसर के कोरोना प्रभावित क्षेत्र में ही बन्द करने व प्रताड़ित करने का विषय उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार को विधायकों को इस तरह की प्रताड़ना से बचाने हेतु उचित पग उठाने चाहिए।

मुख्य मंत्री ने कहा कि वह इस विषय पर पहले भी उत्तर दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि सभी पक्षों को संयम बरतते हुए मंत्री व विधायकों के घरों के सामने इस तरह के प्रदर्शन नहीं करने चाहिए। मुख्य मंत्री ने कहा कि कुल्लू में स्थानीय लोगों, जिनमें श्री महेश्वर सिंह भी शामिल थे, द्वारा कांग्रेस पार्टी के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया न कि श्री सुन्दर सिंह ठाकुर के होटल के बाहर। इस मामले में दोनों पक्षों द्वारा FIRs दर्ज़ की गई हैं तथा यह विषय सब-ज्यूडिस है।

(02.28 बजे अपराह्न विपक्ष ने सदन से बर्हिगमन किया।)

1. प्रश्नोत्तर

(I) तारांकित प्रश्न :

तारांकित प्रश्न संख्या : 3065 से 3071 पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा संबंधित मंत्रियों द्वारा उत्तर दिए। तारांकित प्रश्न संख्याः 3068 के उत्तर पर मुख्य मंत्री ने हस्तक्षेप कर स्थिति स्पष्ट की। तारांकित प्रश्न संख्या : 3072 से 3125 तक के उत्तर संबंधित मंत्रियों द्वारा दिए गए समझे गए।

(02.40 बजे अपराह्न विपक्ष के सदस्य पुनः सदन में वापिस आए।)

(II) अतारांकित प्रश्न :

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1143 से 1160 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य

श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री ने साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य दिया।

3. कागज़ात सभा पटल पर

(1) **श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री** ने निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखीः-

(i) भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 (वित्त लेखे खण्ड-1 एवं खण्ड-II) हिमाचल प्रदेश सरकार;

(ii) भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 (विनियोग लेखे) हिमाचल प्रदेश सरकार;

(iii) भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 (राज्य के वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार;

(iv) हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ न्यायालय कर्मचारी(वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) अधिनियम, 2005 की धारा-4 के साथ पठित हिमाचल प्रदेश न्यायालय अधिनियम, 1976 की धारा 18(3) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, वर्ग-I(राजपत्रित)(नियुक्ति, सेवा की शर्तें, आचरण और अपील) नियम, 2019 जोकि अधिसूचना संख्याःगृह-बी(ए)3-6/2015 दिनांक 26.10.2019 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 15.11.2019 को प्रकाशित;

(v) भारत के संविधान के अनुच्छेद 323(2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग का 48वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-19; और

(vi) हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड, हमीरपुर के नियम, 2004 के नियम 16 के उप-नियम 12 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड, हमीरपुर का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2019-2020.

(2) **श्री गोविन्द सिंह ठाकुर, शिक्षा मन्त्री** (प्राधिकृत) ने निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखीः-

(i) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश उद्यान उपज़ विपणन एवं विधायन निगम सीमित का 44वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2017-18 (विलम्ब के कारणों सहित); और

(ii) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश ऐग्रो इण्डस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन लिमिटेड का 48वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2017-18 (विलम्ब के कारणों सहित)।

(3) **डॉ0 राम लाल मारकण्डा, तकनीकी शिक्षा मन्त्री** ने निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखीः-

(i) नियंत्रक महालेखापरीक्षक (डी0पी0सी0) अधिनियम, 1971 की धारा 19(ए) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य इलैक्ट्रोनिक्स विकास निगम सीमित का 35वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे, वर्ष 2018-19; और

(ii) बोर्ड अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला का वार्षिक लेखा तथा Balance Sheet, वर्ष 2018-19.

(4) **श्री वीरेन्द्र कंवर, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री** ने हिमाचल हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1986 की धारा-45(4) के अन्तर्गत चौधरी सरवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के वार्षिक लेखे एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2015-16 व 2016-17 (विलम्ब के कारणों सहित) की प्रति सभा पटल पर रखी।

(5) **श्री गोविन्द सिंह ठाकुर, शिक्षा मन्त्री** ने हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 1968 की धारा 15(1)(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण, वर्ष 2018-19(01 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019 तक) की प्रति सभा पटल पर रखी।

4. सदन की समितियों के प्रतिवेदन

(1) **श्रीमती आशा कुमारी, सभापति, लोक लेखा समिति,** (वर्ष 2020-21) ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखीः-

(i) समिति का 150वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 74वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा नगर एवं ग्राम योजना विभाग से सम्बन्धित है;

(ii) समिति का 151वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 76वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा नगर एवं ग्राम योजना विभाग से सम्बन्धित है;

(iii) समिति का 152वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 77वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा नगर एवं ग्राम योजना विभाग से सम्बन्धित है;

(iv) समिति का 153वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 78वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा नगर एवं ग्राम योजना विभाग से सम्बन्धित है;

(v) समिति का 154वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 79वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा नगर एवं ग्राम योजना विभाग से सम्बन्धित है;

(vi) समिति का 155वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 58वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा पंचायती राज विभाग से सम्बन्धित है;

(vii) समिति का 156वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 101वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा पंचायती राज विभाग से सम्बन्धित है; और

(viii) समिति का 157वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 99वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा खाद्य,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग से सम्बन्धित है।

(2) **श्री विनय कुमार, सदस्य, मानव विकास समिति,** (वर्ष 2020-21) ने समिति के 22वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2016-17) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 11वें कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2018-19) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि योजना विभाग से सम्बन्धित, की प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी।

श्री मुकेश अग्निहोत्री, नेता प्रतिपक्ष ने जिला कांगड़ा के अन्तर्गत फोरलेन रद्द होने का विषय उठाया।

5. नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

(1) **श्री आशीष बुटेल** ने दिनांक 9 सितम्बर, 2020 को समाचार पत्र में प्रकाशित शीर्षक "पालमपुर नगर निगम के गठन पर 5 पंचायतों के प्रतिनिधियों ने जताई आपत्ति" से उत्पन्न स्थिति की ओर शहरी विकास मन्त्री का ध्यान आकर्षित किया।

शहरी विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

(03.35 बजे अपराह्न माननीय उपाध्यक्ष पदासीन हुए।)

श्री आशीष बुटेल ने स्पष्टीकरण मांगा

शहरी विकास मंत्री ने स्पष्टीकरण का उत्तर दिया।

(2) **श्री राकेश सिंघा** ने दिनांक 6 सितम्बर, 2020 को पंजाब केसरी में प्रकाशित शीर्षक "सेब के दाम में भारी गिरावट, बागवान मायूस" से उत्पन्न स्थिति की ओर जल शक्ति मन्त्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री गोविन्द सिंह ठाकुर शिक्षा मंत्री (प्राधिकृत) ने चर्चा का उत्तर दिया।

(04.12 बजे अपराह्न माननीय अध्यक्ष पदासीन हुए।)

श्री राकेश सिंघा ने स्पष्टीकरण मांगा।

शिक्षा मंत्री ने स्पष्टीकरण उत्तर दिया।

6. सांविधिक ईकाई हेतु मनोनयन

(1) **श्री गोविन्द सिंह ठाकुर, शिक्षा मंत्री** (प्राधिकृत) ने निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया -

"हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी एवं वानिकी अधिनियम, 1986 की धारा 11(1)बी (7)के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश विधान सभा के दो सदस्यों को डा0 वाई0 एस0 परमार, औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी की अभिषद् (सीनेट) में दो वर्ष के लिए जिस दिन से अधिसूचना जारी हो तथा उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत स्टेटेच्यूट तथा रेगुलेशन के अधीन मनोनीत करने के लिए यह सदन माननीय अध्यक्ष महोदय को प्राधिकृत करता है।"

प्रस्ताव ध्वनिमत से स्वीकार हुआ।

(2) **श्री वीरेन्द्र कंवर, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री** ने निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया -

"हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1986 की धारा 11(1)A(vii) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विधान सभा के दो माननीय सदस्यों को चौधरी सरवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर की सीनेट के लिए 2 वर्ष की अवधि के लिए जिस तिथि से अधिसूचना जारी होगी तथा उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत स्टेच्यूट तथा रेगुलेशन के अधीन मनोनीत करने के लिए यह सदन माननीय अध्यक्ष महोदय को प्राधिकृत करता है।"

प्रस्ताव ध्वनिमत से स्वीकार हुआ।

7. विधायी कार्य

सरकारी विधेयकों पर विचार-विमर्श एवं पारण

(i) **श्री बिक्रम सिंह, उद्योग मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि "हिमाचल प्रदेश औद्योगिक विवाद (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 5)" पर विचार किया जाए।

बिल पर खण्डशः विचार हुआ।

श्री जगत सिंह नेगी व श्री राकेश सिंघा ने खण्ड 2, 3 व 4 पर संशोधन प्रस्तुत किए एवं चर्चा की।

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु व श्री होशियार सिंह ने भी चर्चा में भाग लिया।

उद्योग मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

श्री जगत सिंह नेगी व श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु ने स्पष्टीकरण मांगे।

उद्योग मंत्री ने स्पष्टीकरण दिया।

संशोधन अस्वीकार हुए।

खण्ड 2, 3, 4 व 5 विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री बिक्रम सिंह, उद्योग मंत्री ने प्रस्ताव किया कि "हिमाचल प्रदेश औद्योगिक विवाद (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 5)" को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

"हिमाचल प्रदेश औद्योगिक विवाद (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 5)" पारित हुआ।

(ii) **श्री बिक्रम सिंह, उद्योग मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि "हिमाचल प्रदेश ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 6)" पर विचार किया जाए।

बिल पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2 पर **श्री जगत सिंह नेगी व श्री राकेश सिंघा** ने अपने संशोधन प्रस्तुत किए एवं चर्चा की।

श्री होशियार सिंह ने भी चर्चा में भाग लिया।

उद्योग मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

संशोधन अस्वीकार हुए।

खण्ड 2 व 3 विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री बिक्रम सिंह, उद्योग मन्त्री ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 6)" को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

"हिमाचल प्रदेश ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 6)" पारित हुआ।

(iii) **श्री बिक्रम सिंह, उद्योग मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि "हिमाचल प्रदेश कारखाना (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 7)" पर विचार किया जाए।

बिल पर खण्डशः विचार हुआ।

श्री जगत सिंह नेगी व श्री राकेश सिंघा ने खण्ड 2, 3, 4, व 5 पर अपने संशोधन प्रस्तुत किए एवं चर्चा की।

श्री होशियार सिंह ने भी चर्चा में भाग लिया।

उद्योग मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

संशोधन अस्वीकार हुए।

खण्ड 2, 3, 4, 5 व 6 विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री बिक्रम सिंह, उद्योग मन्त्री ने प्रस्ताव किया कि "हिमाचल प्रदेश कारखाना (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 7)" को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

"हिमाचल प्रदेश कारखाना (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 7)" पारित हुआ।

8. नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्ताव

(1) **श्री किशोरी लाल** ने निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया एवं चर्चा की -

"प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने बारे यह सदन विचार करे।"

श्री हीरा लाल ने चर्चा में भाग लिया।

(07.00 बजे सायंकाल सदन की बैठक 07.20 सायंकाल तक बढ़ाई गई।)

श्री वीरेन्द्र कुमार, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

सदन की बैठक 07.20 बजे सायंकाल मंगलवार, दिनांक 15 सितम्बर, 2020 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित हुई।